हम - हमारे भारत का संविधान इस की विशिष्टता

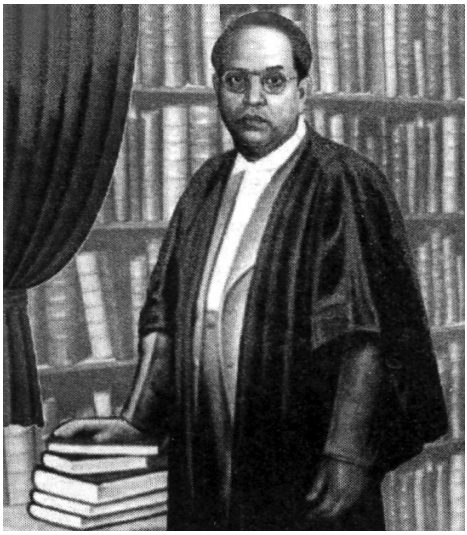

समाजिका समरस्ता वेदिका - हैदराबाद

हम – हमारे भारत का संविधान
इसकी विशिष्टता

समाजिका समरस्ता वेदिका – हैदराबाद

पहला संस्करण : **सितंबर, 2022**

मूलतः : **तेलुगु में**

लेखक : **श्याम प्रसाद**

अनुवादक : **डॉ.बोन्टू कोटय्या**
सहायक प्रोफेसर, सीएस–आईटी विभाग, मानु
संयोजक, एससी/एसटी राष्ट्रीय मंच
तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश

पकाशक : **डॉ.बोन्टू कोटय्या**
सहायक प्रोफेसर, सीएस–आईटी विभाग, मानु
संयोजक, एससी/एसटी राष्ट्रीय मंच
तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश

साज सज्जा : **वी.कांताराव,** 8978453114

मुद्रक : **आकृति ऑफसेट प्रिंटर,**
040–27664525, 9704026242

प्रतियों के लिए : **साहित्य निकेतन**
बरकतपुरा, हैदराबाद–500027.
040–27563236

कीमत : **रु. 50**

1) विभिन्न देशों में संविधान कैसे बने

इससे पहले कि हम अपने भारत के संविधान की विशेषताओं, इसके गठन की विशेषताओं और संविधान के प्रमुख तत्वों को जानें, कम से कम विस्तार से जानना आवश्यक है, विभिन्न संविधानों के लेख जो दुनिया में हमसे पहले आए। इस मौके पर आइए संक्षेप में जानते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और पाकिस्तान के संविधानों की कहानियां। आज दनिया में 200 से अधिक देश हैं। प्रत्येक देश की अपनी शासन प्रणाली होती है। हमारे भारत में हमने संविधान के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। इंग्लैंड संसदीय लोकतंत्र का जन्मस्थान है। कई सौ साल बाद अमेरिकी संविधान बनाया गया जिसके बाद फ्रांस पर श्फ्रांसीसी क्रांति का प्रभावश दुनिया के सभी देशों में महसूस किया गया। हमारे देश की आज़ादी के साथ, पाकिस्तान नव निर्मित था, तो आइए संक्षेप में जानते हैं कि इन चारों देशों के संविधान कैसे विकसित हुए।

1) इंग्लैंड का संवैधानिक इतिहास

इंग्लैंड की संसद को श्संसदों की जननी के रूप में जाना जाता है। इंग्लैंड का क्षेत्रफल आंध्र प्रदेश के क्षेत्रफल के बराबर है। इंग्लैंड का में अनादि काल से राजशाही प्रशासन रहा है। राजा ने यह सोचकर अत्याचारी व्यवहार किया कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है और लोगों पर शासन करने की शक्ति रखता है जैसा वह चाहता है। लोक प्रशासन में राजा द्वारा नियुक्त एक श्परिषदश शामिल था। इस परिषद के सदस्य जनता द्वारा नहीं, बल्कि सम्राट द्वारा चुने जाते थे। इस परिषद को श्महान परिषदश कहा जाता था। महान परिषद के रूप में जानी जाने वाली इस परिषद को 1236 से संसद कहा जाने लगा। 1254 में यह निर्णय लिया गया कि संसद का गठन नागरिकों के

निर्वाचित प्रतिनिधियों युद्ध किया जाना चाहिए। 1399 में ब्रिटिश संसद को सम्राट को हटाने का अधिकार था। सम्राट रिचर्ड द्वितीय को हटा दिया गया और हेनरी को सम्राट नियुक्त किया गया। सम्राट को संवैधानिक प्रमुख (संवैधानिक सम्राट) कहा जाता था। कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास था। यह बदलाव इतनी आसानी से नहीं हुआ।

ईसाई आबादी में कैथोलिक आबादी में दुनिया का अधिकांश हिस्सा हैं। दुनिया के ईसाई धर्म के प्रमुख पोप थे। वे न केवल एक पादरी थे, वे न केवल एक पादरी थे, बल्कि राजनीति में भी दबदबा रखते थे। जर्मनी में मार्टिन लूथर (1483–1546) के नेतृत्व में ईसाई धर्म की बुराइयों के खिलाफ विद्रोह के परिणामस्वरूप प्रोटेस्टेंटवाद का एक नया पंथ उभरा। इस प्रोटेस्टेंट विचारधारा के प्रभाव का इंग्लैंड पर प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में इन राजनेताओं ने पोप के राजनीतिक वर्चस्व का विरोध किया। उस समय हेनरी टप्प् इंग्लैंड के सम्राट थे। सम्राट अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता था। इसके लिए पोप की सहमति जरूरी है। पोप ने अनुमति नहीं दी। इससे सम्राट पोप से नाराज हो गए। सम्राट के सहयोग से इंग्लैंड में पोप के अधिकार की अवहेलना करते हुए श्इंग्लैंड के चर्च का गठन किया। यह धार्मिक वर्चस्व और राजनीतिक वर्चस्व के बीच का संघर्ष था। 1640 से 1651 तक इंग्लैंड में गृहयुद्ध चला। इंग्लैंड देश में तीन हिस्से थेरू इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तीन भाग भाषाई और सांस्कृतिक रूप से भिन्न हैं। चार्ल्स प्रथम उस समय इंग्लैंड का सम्राट था। सम्राट चार्ल्स प्रथम के लिए, संसद की शक्तियों के बीच दूसरा संघर्ष उत्पन्न हुआ। ओलिवर क्रॉमवेल संसदीय सशस्त्र बलों के कमांडर–इन–चीफ थे। आयरलैंड मुख्य रूप से कैथोलिक है। चार्ल्स प्रथम की पत्नी हेनरीटा एक कैथोलिक थीं। इन दोनों सेनाओं के बीच 11 साल तक युद्ध चला। यह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संप्रदायों के बीच युद्ध था, सम्राट की सेना और संसद की सेना के बीच युद्ध था। जनवरी 1649 में प्रथम चार्ल्स का सिर कलम कर दिया गया था। इस

गृहयुद्ध में 8 लाख लोग मारे गए थे। श्क्रॉमवेल, जिन्होंने संसद के कमांडर–इन–चीफ के रूप में कार्य किया। उन्हीको राष्ट्रीय नाइटहुड के रूप में मान्यता दी गई।

1688 गौरवशाली क्रांति

1660 में चार्ल्स द्वितीय सम्राट बने। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह कैथोलिक धर्म से सम्राट जेम्स द्वितीय द्वारा सफल हुआ था। उसके शासनकाल के दौरान फिर से, 1667 में दूसरा गृह युद्ध छिड़ गया। जेम्स द्वितीय देश से भाग गया। 1675 में वापस जेम्स द्वितीय सम्राट बने। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए कैथोलिक अधिकारियों को सभी पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1687 में सम्राट के रूप में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए संसद को भी भंग कर दिया। सम्राट जेम्स द्वितीय की बेटी मैरी ने हॉलैंड के ऑरेंज के राजकुमार विलियम प्प् से शादी की। विलियम 1688 में 20,000 की सेना के साथ इंग्लैंड में शामिल हुए। विलियम के साथ सम्राट जेम्स द्वितीय की सारी सेना शामिल हो गई। जेम्स को अंततः इंग्लैंड से भागना पड़ा। इंग्लैंड की संसद ने अंततः विलियम और उनकी पत्नी मैरी को संयुक्त रूप से सिंहासन पर बिठाया। इस बदलाव के दौरान कोई बड़ा नरसंहार नहीं हुआ। इसलिए इसे ष्1688 गौरवशाली क्रांतिश कहा गया। इस परिवर्तन ने संसद को संप्रभु शक्तियाँ प्रदान की। सम्राट कुलाध्यक्ष के रूप में बना रहा।

1788 में, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हआ, मताधिकार और महिलाओं को 20 वीं शताब्दी में अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र धीरे–धीरे स्थापित हुआ और बस गया। विधान और कानून सबसे पहले संसद द्वारा तैयार किए गए थे। यह इंग्लैंड का संविधान था। इंग्लैंड का कोई लिखित संविधान नहीं था। यह इंग्लैंड की विशेषता है। सदियों से संसद के संचालन के रूप में कुछ रीति–रिवाजों का गठन किया गया है। वे केवल इन परंपराओं का पालन करते हैं। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स (निचला सदन) और हाउस ऑफ लॉईस (उच्च सदन)

बुजुर्गों के दो घर हैं। ब्रिटिश कानुनी व्यवस्था ने 1873 और 1876 के बीच स्थिरता प्राप्त की। सम्राट नाममात्र संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। प्रधान मंत्री, जो लोगों के प्रतिनिधियों (संसद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, और कैबिनेट देश पर शासन करते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के निर्माण की कहानी

संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन कैसे हुआ।

1492 में, स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस हिंदू राष्ट्र की तलाश में अमेरिकी तट पर गए। उन्होंने सोचा कि यह एक हिंदू देश था। बाद में, यूरोप से विभिन्न देशों और जातियों के लोग अमेरिकी महाद्वीप में आकर बस गए। आज का अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना बड़ा है। अमेरिका में जंगल और पहाड़ियाँ इतनी व्यापक हैं। क्षेत्र बहुत बड़ा है। जनसंख्या बहुत कम है। इन यूरोपीय अप्रवासियों द्वारा स्थानीय जनजातियों के लोगों का नरसंहार किया गया था। यूरोपियों ने अपने घरों और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए अफ्रीका के नीग्रो को गुलाम बनाया। अमेरिकी महाद्वीप में 13 उपनिवेश (राज्यों के रूप में) हैं। उन पर ब्रिटिश सरकार का दबदबा था। अंग्रेजों के इस प्रभुत्व के लिए विरोध की आग भड़क उठी। 13 राज्यों के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिलकर लड़ने का फैसला किया और जॉर्ज वॉशिंगटन को श्कमांडर बनाया। उन्होंने इंग्लैंड के साथ युद्ध छेड़ने के लिए अपने–अपने राज्यों से सेना भेजी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 जुलाई, 1777 को स्वतंत्रता प्राप्त की। हालाँकि, संयुक्त राज्य का अभी तक आधिकारिक रूप से गठन नहीं हुआ था।

संविधान निर्माण की कहानी

जेम्स मैडिसन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन जैसे विद्वानों का मानना था कि इंग्लैंड से इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता थी। 1783 में, सभी राज्यों को एकजुट करते हुए 'संघीय दस्तावेज़' का गठन किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था, और कांग्रेस के पास कोई शक्ति नहीं थी।

राष्ट्रीय कांग्रेस केवल कागजों तक ही सीमित थी। केंद्रीय सेना को वेतन देने में असमर्थ रही। स्थिति को देखते हुए, उन्होंने पहचाना कि 13 राज्यों से मिलकर एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता थी। 12 राज्यों के कुल 74 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए, जबकि 55 प्रतिनिधियों ने एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए फिलाडेल्फिया में संवैधानिक सम्मेलन में भाग लिया। रोड आयरलैंड राज्य अपने प्रतिनिधि को संविधान सभा में भेजना पसंद नहीं किया था। 25 मई 1787 से 17 सितंबर 1787 तक, 55 प्रतिनिधि 17 सप्ताह तक रहे और चर्चा की और संविधान का मसौदा तैयार किया। श्प्रत्येक सदस्य को स्वतंत्र रूप से बोलने का अवसर और अधिकार दिया गया था। किसने क्या कहा यह खुलासा नहीं होना चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। इन 55 सदस्यों ने बंद कमरे के अंदर बैठक की और संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 17 सप्ताह तक एक साथ काम किया। 55 सदस्यों में से 13 बैठक में भाग लिए बिना ही चले गए। अन्य तीन ने हस्ताक्षर नहीं किए।

संविधान पर अंततरू 39 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।इस बैठक को श्फिलाडेल्फिया सम्मेलनश कहा गया। इस संवैधानिक सभा की अध्यक्षता जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। उसे कानून और न्यायशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था। फिर भी, उनके पास व्यावसायिक दक्षता की अधिकता थी जो सर्व–समावेशी हो सकती है। बाकी सदस्य संविधान का मसौदा तैयार करने में विशेषज्ञ थे। 7 दिसंबर, 1787 से 29 मई, 1790 तक अमेरिकी महाद्वीप के 13 राज्यों के प्रतिनिधि सभा में कई विचार–विमर्श के बाद संघ के संविधान को अपनाया गया था। 30 अप्रैल, 1789 को जॉर्ज वॉशिंगटन को सर्वसम्मति से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। बाद में उन्हें संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। नेताओं और लोगों ने मांग की कि जॉर्ज वाशिंगटन तीसरी बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनें, लेकिन वह रहने के लिए सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दो बार से अधिक नहीं रहना चाहिए।

इसलिए जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का राष्ट्रपिता (राष्ट्रपिता) कहा जाता था।

अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषताएं

अमेरिकी समाज और संविधान का प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (स्टैच्यू) है। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता अमेरिकी समाज और उसके संविधान की विशिष्टता है। बाद में, कुछ और क्षेत्र संयुक्त राज्य में शामिल हो गए, जिससे कुल 50 राज्य बन गए। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज पर 13 प्रारंभिक राज्यों के संकेतक के रूप में 13 सफेद और लाल धारियां हैं, आज के 50 राज्यों को चिह्नित करने के लिए नीले रंग की पृष्ठभूमि पर 50 सितारे हैं।

श्वेतों के बराबर अश्वेतों का समानता के लिए आंदोलन

1860 में अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में अलगाववादी आंदोलन छिड़ गया। तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन (1861–1865) ने अलगाववादी आंदोलन को ठंडा किया और अमेरिका को अलग करने के बजाय मजबूती से खड़े रहे। अब्राहम लिंकन की 15 अप्रैल, 1865 को एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्र की एकता और अश्वेतों के अधिकारों के लिए एक बलिदान थे। इस दौरान लाखों अमेरिकी नागरिक मारे गए, जिनमें अधिकतर पुलिस थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर (1929–1968) के नेतृत्व में एक महान

आंदोलन था कि अमेरिका में अश्वेतों को गोरों के साथ समान अधिकार होना चाहिए। बहुत बड़ा रक्तपात हुआ। मार्टिन लूथर किंग, जूनियर की 4 अप्रैल, 1968 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सौ साल की अवधि के दौरान, अश्वेतों के लिए गोरों के बराबर कानून बनाए गए – 1934 का राष्ट्रीय आवास अधिनियम, 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम और मतदान अधिकार अधिनियम 1965 का 1967 में, यू.एस. सुप्रीम कोर्ट ने गोरों और अश्वेतों के बीच विवाह को एक वैध कार्य के रूप में मान्यता दी।

अमेरिका के संविधान में संशोधन करना एक जटिल प्रक्रिया थी।

उन्होंने इस 300 साल की अवधि में 2013 तक केवल 27 बार संविधान में संशोधन किया है। अमेरिकी समाज स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का एक प्रतीकात्मक साधन है। जब इन्हें अधिक महत्व दिया जाता है, तो वित्तीय क्षेत्र में पूजीवाद स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है। इससे आर्थिक असमानताएं पैदा होती हैं। अमेरिकी इतिहास में समानता के लिए कई कानूनों के बावजूद, गोरों और अश्वेतों के बीच असमानता अभी भी बनी हुई है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि, अमेरिकी समाज में लोकतांत्रिक मूल्य हैं जिनमें कई राष्ट्रों के कई जातियों और धर्मों के लोग शामिल हैं। विभिन्न बहसों में, अश्वेतों को भी गोरों के साथ समान संवैधानिक अधिकार दिए गए।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल चार वर्ष का होता है। लोकसभा के समान प्रतिनिधि सभा के 435 सदस्य विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। बड़ों की सभा को श्सीनेटश कहा जाता है। सीनेट के लिए सौ सदस्य होंगे। सीनेट के पास अधिक शक्तियां हैं। 50 राज्यों के दो–दो सदस्य सीनेट में हैं। अमेरिका में सभी नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है। एक नागरिकता राज्य सरकार है और दूसरी अमेरिकी नागरिकता है। यदि एक राज्य का व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है, तो उपाध्यक्ष दूसरे राज्य से चुना जाता है।

फ्रांसीसी संविधान का इतिहास

दुनिया के कई देशों की तरह, फ्रांस में राजा का निरंकुश प्रशासन लंबे समय तक चला। रूसो, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू जैसे बुद्धिजीवियों ने अपने लेखन के माध्यम से तीन आदर्शों स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और समानताश के लिए लोगों को जागरूक किया। 14 जुलाई, 1789 को फ्रांस में प्रसिद्ध बैस्टिल जेल की दीवारों को ध्वस्त कर दिया गया था। लुई सोलहवें की 21 जनवरी, 1793 को हत्या कर दी गई थी। यह खूनी युद्ध 1793 तक चला। इस खूनी क्रांति में 16,000 से अधिक लोग मारे गए। 4 अगस्त को, फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने श्पुरुषों और नागरिकों के अधिकारश की घोषणा की। दुनिया के कई देशों

में कई रूपों में सामाजिक राजनीतिक असमानताएं कई सदियों से कायम हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, सभी देशों में एक नया परिवर्तन लाया गया ताकि सभी को वोट देने का अधिकार, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता प्रदान की जा सके।

हालांकि पहला गणतंत्र 1789 में बना था, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चला। यह देखकर नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। 1848 में लोगों ने फिर से विद्रोह किया और दूसरा गणतंत्र घोषित किया। इसके बाद राजशाही लौट आई। तीसरा गणतंत्र 1875 में आया; चौथा गणतंत्र 1946 में आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, चार्ल्स डी गॉल के नेतृत्व में 28 सितंबर, 1958 को नए संविधान पांचवें गणराज्य का गठन किया गया था।

फ्रांसीसी संविधान की विशेषताएं

फ्रांस में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति का चुनाव हर पांच साल में एक बार होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 प्रतिशत मत प्राप्त करने होंगे। बड़ों की सभा को सीनेट कहा जाता है। इसमें 341 सदस्य हैं। वे छह साल तक पद पर बने रहेंगे। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसके आधे सदस्य हर तीन साल में चुने जाते हैं, हमारी राज्यसभा की तरह यह एक स्थायी सदन की तरह है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई दूसरी विधायिका को नेशनल असेंबली कहा जाता है। इनमें से 577 सदस्य पांच साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। उन्हें दो दौर के चुनावों में एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाना चाहिए। पहले दौर में कम से कम 25 प्रतिशत वोट पाने वाले उम्मीदवार को दूसरे दौर में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। विजेताओं को डिप्टीश कहा जाता है। इनमें से 555 सदस्य फ्रांसीसी देश से चुने जाते हैं और शेष 22 सदस्य दुनिया भर के फ्रांसीसी क्षेत्रों से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री को बहुमत वाली पार्टी से नियुक्त करता है। राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के बीच शक्तियों का पृथक्करण 1970 के दशक से अनौपचारिक रूप से शुरू हुआ। आम तौर पर, प्रधान मंत्री आंतरिक मामलों को हल करते

हैं, जबकि राष्ट्रपति विदेशी मामलों और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों की देखरेख करते हैं। यदि राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री विभिन्न राजनीतिक दलों से चुने जाते हैं. तो उनके गठबंधन को सह–आवासश कहा जाता है।

पाकिस्तान के संविधान का इतिहास

14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिली, जबकि भारत को आजादी 24 घंटे देरी से मिली। आइए जानें उनके संविधान की कहानी। पाकिस्तान की संविधान सभा का गठन 11 अगस्त 1947 को मुहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 69 संविधान सभा सदस्यों के साथ किया गया था। जिन्ना ने मांग की कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर एक अलग देश बने। अजीब तरह से अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा, श्पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए। क्या हुआ अगर तुम मुसलमान हो? क्या होगा अगर आप हिंदू हैं? इसमें कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान के लोग जिन्ना के भाषण को नहीं समझते थे। ठीक 4 महीने बाद 11 दिसंबर 1948 को जिन्ना की मृत्यु हो गई।

7 मार्च 1949 को लियाकत अली खान ने संविधान सभा में प्रस्तावना पेश की। पहला संविधान 1954 में तैयार किया गया था। संविधान लागू होने से पहले लियाकत अली खान सरकार को भंग कर दिया गया था। दूसरी संविधान सभा का गठन 1955 में किया गया था।

23 मार्च, 1956 – संविधान का गठन किया गया और पाकिस्तान को ष्इस्लामिक गणराज्यष् घोषित किया गया। संसद, प्रधान मंत्री, मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। 1959 में दूसरा संविधान निरस्त कर दिया गया था। 1960 में तानाशाह अयूब खान ने संवैधानिक आयोगश की स्थापना की थी। तीसरा नया संविधान 1962 में आया। राष्ट्रपति शासन के अमेरिकी मॉडल की स्थापना हुई। बदले में याह्या खान सरकार भंग कर दी गई।

1969 में बांग्लादेश के नाम से पूर्वी बंगाल पाकिस्तान से अलग हो गया। 1973 में प्रधान मंत्री के साथ वर्तमान संविधान का गठन किया गया था। जिया–उल–हक ने 1977 में संविधान को निरस्त कर दिया। 1985 में,

परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता में आए। पाकिस्तान में सैन्य शासन की अवधि संविधान द्वारा लोकप्रिय सरकारी शासन की अवधि से अधिक लंबी है। फौजी अमेरिका के गप्पे में या आतंकियों के गुर्गों में होना पाकिस्तान के संविधान का इतिहास है। संविधान के अभाव में प्रस्तावना केवल एक कागज का टुकड़ा है।

पाकिस्तान के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता, समानता, समान सुरक्षा और अधिकार सभी एक दिखावा है। विभिन्न मुस्लिम जनजातियों के लिए स्वयं कोई सुरक्षा नहीं है। देश और जनता की कद्र आतंकवादियों के गुच्छों में होती है। पाकिस्तान के संविधान की प्रस्तावना दुनिया के सभी देशों की प्रस्तावना से काफी बड़ी है। कई आदर्श वाक्य हैं। उपयोग क्या है? इस बीच, भारत में लोकतंत्र ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। यह दुनिया में एक स्थिर लोकतांत्रिक देश के रूप में विकसित हो रहा है।

2) भारत का संविधान बनने से पहले की कहानी

भारत ने 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। संविधान सभा के चुनाव 1946 में ही हुए थे। हालाँकि, क्या भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास के संतों को शासन करने के तरीके पता थे?

प्राचीन काल में विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाएं

भारत और अन्य देशों में प्राचीन काल से ही राजतंत्र विद्यमान रहा है। भारत में राजा को अत्याचारी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। राजा के ऊपर एक राजदण्ड होगा। हमारे प्राचीन लोक प्रशासन विज्ञान कहते हैं कि, यदि कोई राजा धर्म के विरुद्ध शासन करता है, तो उसे हटा दिया जाना चाहिए। नहुशुदु को सर्प होने का श्राप मिला था क्योंकि उसने धर्म के विरुद्ध शासन किया था। इस देश में सदियों पुरानी प्रशासनिक नीतियां ... शुक्र नैतिकता, विदुर नैतिकता, भीष्मबोध का अर्थशास्त्र (अनुशासन पर्वम) कौटिल्य का अर्थविज्ञान, राजनीतिक अर्थव्यवस्था। इसी श्रेणी में है आज का भारत का संविधान!

समुद्रगुप्त, श्रीहर्ष, अशोक और विजयनगर के राजा, राजापुत्र वीरा, शिवाजी और सिख राजाओं जैसे कई राजाओं को विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा, क्या वे लोकप्रिय रूप से शासन नहीं कर रहे थे? क्या वे सभी नहीं जानते थे कि लोगों पर शासन कैसे किया जाता है? क्या उनके पास प्रशासनिक नीतियां नहीं थीं?

आधुनिक युग में

1) ईस्ट इंडिया चौंबर ऑफ कॉमर्स, भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिश शासक ... कई नीतियां और परिवर्धन करते रहे हैं। उनमें से एक है 1935 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। यह भारत के संविधान के प्रारूपण में एक

प्रमुख कारक बन गया। 2) 1885 में जब कांग्रेस संगठन की शुरुआत हुई तो वे कुछ ही इच्छाएं और याचिकाएं करते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्यम मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हैं और वे राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ–साथ स्वराज्य भी चाहते थे। तब कांग्रेस ने अंग्रेजों के साये में रहने की कोशिश की और अधिक राजनीतिक शक्तियों (डोमिनियन स्टेटस) के साथ शासन चाहती थी। अंग्रेज इसके लिए राजी नहीं थे। कांग्रेस में चरमपंथियों लाल, बाल, पॉल, अरविंद घोष और बहन निवेदिता ने कथित तौर पर पूर्ण स्वतंत्रता (पूर्ण स्वराज) की मांग की। लाहौर कांग्रेस महासभा ने आखिरकार दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लेने का फैसला किया। इसके अनुरूप यह स्पष्ट हो गया कि हमारा अपना संविधान हमारे भारतीयों के साथ ही बनाया जाना चाहिए।

इस विकास कहानी विस्तार में

1922 में डॉ. एनी बेसेंट ने उच्च और निचले सदनों के सदस्यों के साथ शिमला बैठक के दौरान... 1923 डोमिनियन स्टेटस के साथ भारतीय संवैधानिक दिशानिर्देशों पर दिल्ली में केंद्रीय क्षेत्रीय सभा के सदस्यों के साथ बैठकों में चर्चा की गई। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉ. तेज बहादुर सपू की अध्यक्षता में श्राष्ट्रमंडलश पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। कुछ परिवर्तनों और परिवर्धन के साथ, मसौदे को जनवरी 1925 में गांधीजी की अध्यक्षता में दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन द्वारा अनुमोदित किया गया था और विभिन्न दलों के 43 नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। प्रस्ताव इंग्लैंड में लेबर पार्टी के नेताओं को प्रस्तुत किया गया था। इसे कुछ संशोधनों के साथ हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल के रूप में पेश किया गया और पहली रीडिंग पूरी की। लेबर पार्टी की सरकार गिरने के बाद बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। मोतीलाल नेहरू संकल्प, जिसे श्भारत के संवैधानिक सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है, 10 अगस्त, 1928 को पेश किया गया था।

3) डॉ. अम्बेडकर ने विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजी शासकों को कुछ ज्ञापन प्रस्तुत किए। ये स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

जैसे वयस्क मताधिकार प्रदान करने में कई शताब्दियां लगीं, इंग्लैंड और अमेरिका के लिए सभी को समान मूल्य, जहां संसदीय लोकतंत्र फला–फूला। भारत में 1928 में सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देने का विचार सभी भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया था। 1922 में गांधी जी ने सबसे पहले श्संविधान सभाश नाम का प्रयोग किया। 1931 में उन्होंने अपनी श्यंग इंडिया पत्रिका में भारत के संविधान की रूपरेखा पर लेख लिखे।

दुनिया के कई देशों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के संविधान हैं। एक समय में राजतंत्रीय शासन था। आज चुनी हुई सरकारें आ गई हैं। कुछ सरकारों के राष्ट्रपति रूप हैं, जबकि अन्य कैबिनेट प्रधान मंत्रीकेंद्रित सरकारें हैं। मानवाधिकार आए हैं। कल्याणकारी सरकारें उभरी हैं। नाम से लोकतंत्र लेकिन एक पार्टी सरकार (कम्युनिस्ट) आज अलग–अलग देशों में कई विशिष्टताओं वाली अलग–अलग सरकारें मौजूद हैं। समय के साथ विभिन्न देशों के संवैधानिक अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, हमारे देश की जरूरतों के अनुसार हमारे लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के साथ भारत का संविधान बनाया गया था।

3) भारत का संविधान बनाने की कहानी

एक ओर, जैसे जैसे श्पूर्णस्वराजश की मांग बढ़ती जा रही थी, यह स्पष्ट हो गया कि भारत एक संविधान चाहता है और भारतीय नागरिकों के साथ भारत की संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, ब्रिटिश शासकों ने एक संविधान सभा के गठन को मंजूरी दी। यद्यपि भारत के लोगों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन इसमें समय लगता था कि इस प्रक्रिया में देरी हो गई ताकि प्रत्येक दस लाख आबादी, सिख, मुस्लिम और हिंदुओं के लिए एक प्रतिनिधि (इस श्रेणी में अनुसूचित जाति शामिल है), एसटी)। यह निर्णय लिया गया कि कुल 389 प्रतिनिधि होंगे। अगस्त 1946 तक, 11 प्रांतीय सरकारों से 292 प्रतिनिधि चुने गए थे, चार ब्रिटिश आयुक्तों से, 93से 555 क्षेत्रों से और कुल 389 प्रतिनिधि चुने गए थे। इनमें से कांग्रेस सदस्य (208), मुस्लिम लीग (73), अन्य दलों के सदस्य (7) और निर्दलीय (8), कुल 296 सदस्य चुने गए। डॉ. अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से जोगेंद्रनाथ मंडल के सहयोग से अनुसूचित जाति संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में चुने गए थे।

1940 में, मुस्लिम लीग ने मांग की कि पाकिस्तान अपने धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए एक अलग देश हो। जिससे आंदोलन को बल मिला। इसलिए मुस्लिम लीग ने स्पष्ट कर दिया कि वे भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे।

इसके साथ ही, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों के बिना आयोजित किया गया था। डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 13 दिसंबर को, डॉ बाबू राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने और हरेंद्र कुमार मुखर्जी (वे भारतीय ईसाइयों की भारतीय परिषद के अध्यक्ष थे),

वी.टी. कृष्णमाचारी चुने गए। डॉ बाबू राजेंद्र प्रसाद ने उस बैठक की अध्यक्षता की जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्भारत के संवैधानिक उद्देश्यों पर बात की। 17 दिसंबर को चर्चा के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू के भाषण की आलोचना करते हुए कहा, ष्देश को एक मजबूत केंद्र की जरूरत है।ष 22 संवैधानिक उप समितियों का गठन किया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने आरक्षण पर तीन सदस्यीय उपसमिति की अध्यक्षता की। उप–समिति ने प्रस्ताव दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए और मुस्लिम और सिख आरक्षण को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा और केवल एससी और एसटी के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। विभिन्न उप–समितियों की अध्यक्षता नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद और के एम मुंशी ने की थी। विभिन्न उप समितियां भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही थीं।

3 जून, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन (अंतिम ब्रिटिश गवर्नर–जनरल) ने 14–15 अगस्त को दो देशों पाकिस्तान और भारत को स्वतंत्रता देते हुए भारत के विभाजन की घोषणा की। पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। जब से डॉ. अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में अपना स्थान खो दिया था, संविधान बनाने के लिए संवेद में नेहरू और पटेल गांधी से मिले थे। "संविधान बनाने कासा महत्वपूर्ण कार्य किसे सौंपा जा रहा है? गांधी ने पूछा। नेहरू और पटेल ने उत्तर दिया, "हम इसे आइवर जेनिंग्स (जिन्होंने श्रीलंकाई संविधान लिखा था) को सौंपना चाहते हैं, जो एक प्रमुख फ्रांसीसी संविधानवादी थे।"

"भारत जैसे प्राचीन देश के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए किसी विदेशी को लाना सही नहीं है। वह काम डॉ. अम्बेडकर को दे दो, वह सक्षम हैं", गांधीजी ने सलाह दी। वास्तव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेसी थे! सदस्यों के बीच कोई संवैधानिक विशेषज्ञ नहीं थे। डॉ. अम्बेडकर के कांग्रेस के साथ कई मतभेद थे। हालाँकि, उस समय के कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्र की भलाई के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉ.

अम्बेडकर की मदद लेने पर सहमति व्यक्त की थी। यह एक सराहनीय अच्छा विकास है। डॉ. बाबू राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभभाई पटेल ने मुंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.जी. खेर ने 14 जुलाई की बैठक से पहले, मुंबई क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए कांग्रेस सदस्य जयकर को इस्तीफा देने और डॉ अंबेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में बदलने के लिए चुना। (डॉ. अम्बेडकर व्यापक खंड, अंग्रेजी। 13 खंड, पीपी। 25–26)। इसके साथ ही डॉ. अम्बेडकर मुंबई क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए। 29 अगस्त 1947 को सम्मेलन के 8 सदस्यों में से एक के रूप में डॉ. अम्बेडकर को मसौदा समिति का सदस्य चुना गया। 30 अगस्त को डॉ. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉ. अम्बेडकर ने कहा, श्मैं मसौदा समिति का अध्यक्ष चुने जाने पर हैरान था।श इसका जिक्र उन्होंने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में अपने संबोधन में किया था।

डॉ. बेनेगल नरसिंह राव, जो पहले से ही एक प्रमुख विधिवेत्ता थे, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और उन्हें संविधान का एक मोटा मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया। उन्होंने अक्टूबर 1947 में 43 लेखों के साथ एक मोटा संविधान तैयार किया। चूंकि मसौदा समिति के शेष 7 सदस्यों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया था, डॉ अम्बेडकर ने कड़ी मेहनत की और 143 दिनों में एक मसौदा संविधानश तैयार किया और इसे 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। मसौदा संविधान सभा के समक्ष रखा गया था। 26 अक्टूबर को कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ। 22 उप–समितियां पहले ही अपने प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रख चुकी हैं। 4 नवंबर 1948 को दूसरी बार डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा को संबोधित किया। हमारे साथ जुड़े लोगों की संख्या बाकी दुनिया के संविधानों के प्रारूपण से अधिक थी, और व्यापक बहस हुई थी। भारत का संविधान बिना किसी विवाद और रक्तपात के तैयार किया गया था। यह एक विशेषता है। यह मसौदा संविधान, प्रत्येक वाक्य को तीन बार पढ़ा और चर्चा की गई। सदस्यों ने इस मसौदे में 7,635 संशोधन किए। डॉ बाबू राजेंद्र प्रसाद को 2,473 संशोधन प्राप्त हुए। इन सभी चर्चाओं पर डॉ. अम्बेडकर ने उत्तर दिए।

डॉ. अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को सदन को अपने संबोधन में कहा था कि, डॉ. इस बैठक के प्रबंधन में बाबू राजेंद्र प्रसाद ने बहुत मदद की। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक पहला वाचन, 16 नवंबर 1949 तक दूसरा वाचन चर्चा, वाद–विवाद की तृतीय वाचन चर्चा 22 नवंबर 1949 तक चली।

25 नवंबर को मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ अम्बेडकर और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ बाबू राजेंद्र प्रसाद ने समापन भाषण दिया।

26 नवंबर को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया। उसी दिन राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को मंजूरी दी गई। इस विषय पर इस दौरान जो भी क्या बोलता, रिकॉर्ड किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 258 सदस्यों ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों पांडुलिपियों में नए संविधान पर हस्ताक्षर किए। इनमें 14 महिलाएं थीं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए, ष्26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस बन गया है। मसौदा प्रस्ताव को जनता के सामने 8 महीने के लिए सार्वजनिक चर्चा के लिए रखा गया था। भारत के संविधान को तैयार करने में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका सबसे प्रमुख है। उन्हें दुनिया के 60 देशों के सभी संविधानों का ज्ञान था। संविधान के सभी मामलों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई और विभिन्न विचारधाराओं से संबंधित विभिन्न दलों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई। भारत के संविधान को उस समय के देशभक्तों और बुद्धिजीवियों (राष्ट्र की क्रीम) द्वारा अपनाया गया था। हमारे संविधान की प्रस्तावना पर तीन सप्ताह तक बहस हुई। संविधान की प्रस्तावना आत्मा के समान है। इस प्रस्तावना में डॉ. अम्बेडकर ने बंधुत्व शब्द जोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि सामाजिक न्याय नातेदारी पर आधारित है।

4) हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं

I) भारत के संविधान की प्रस्तावना (प्रस्तावना)

हम, भारत के लोगों ने, भारत के इस संविधान का मसौदा तैयार किया है. खुद को और खुद से सौंप दिया। इसी क्रम में हम भारत को घोषित कर रहे हैं. संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य। लक्ष्यः सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और मान्यताओं के अनुसार पूजा की स्वतंत्रता।

–स्थिति और अवसरों की समानता

–राष्ट्रीय अखंडता, बंधुत्व, भाईचारा और बढ़ाने के लिए

व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करना। संविधान की प्रस्तावना (प्रस्तावना) संविधान की आत्मा के समान है। संविधान की आकांक्षा लोगों और सरकार की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। प्रस्तावना शुरू होती है श्हम सभी भारतीय.. . अनेक प्रदेशों, भाषाओं, पूजा–पद्धतियों, इनके अलावा जातिगत भेदभाव और छुआछूत... इनके अलावा कई राज्यों को हमारे हज़ार साल के विदेशी आक्रमणों का अनुभव करना पड़ा। और इस सब के कारण विदेशी शासन। विदेशी शासन के हजार वर्षों के दौरान कुछ विदेशी मुसलमान और ईसाई आए और शामिल हुए। कई मूल निवासी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए। विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद जोड़े गए थे। नतीजा यह हुआ कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान बना। हमेशा कई भाषाएं, क्षेत्र, धर्म और जातियां होंगी। हम सभी को इस धारणा को मजबूत करने की जरूरत है कि हम सभी भारतीय हैं। हम सभी को एक मजबूत विचार और व्यवहार बनाने की जरूरत है कि मेरे देश के हित मेरी जाति, क्षेत्र, धर्म और पार्टी के हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमारा संविधान इस तरह के भाईचारे (रिश्तेदारी) की भावना को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। यह अकेले

कानूनों द्वारा पूरी तरह से लागू नहीं होता है। स्वेच्छा से और विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी इस नातेदारी को स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तभी संविधान की उच्च महत्वाकांक्षा लागू होगी।

II) भारतीय राष्ट्रीयता के अनुसार संविधानरू

15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। क्या इसका मतलब यह है कि भारत नवगठित है? क्या भारत पहले जैसा नहीं था? सवाल उठते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद पर तीन अलग–अलग विचार हैं।

ए) भारत एक राष्ट्र के रूप में कभी अस्तित्व में नहीं था : यह कभी भी एक राष्ट के रूप में अस्तित्व में नहीं था भारत एक उपमहाद्वीप है जिसमें कई राज्य हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उनकी प्रशासनिक नीतियां, रेल, सड़कें, एकल केंद्र सरकार ... इन सब के कारण, कांग्रेस नेताओं ने यह सूत्र तैयार किया कि भारत एक नया उभरता हुआ राष्ट्र है। अधिकांश कांग्रेस नेताओं ने व्यक्त किया कि गांधीजी इस नवगठित राष्ट्र के लिए राष्ट्रपिता होंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1922 में इसी शीर्षक पर एक किताब लिखी थी।

बी) भारत का गठन अमेरिका (संयुक्त राज्य अमेरिका), सोवियत रूस (सोवियत समाजवादी गणराज्य के यूएसएसआर संघ) की तरह हुआ था। एक भाषा बोलने वाले लोग एक राष्ट्र हैं। तेलुगु लोग, तमिल लोग, वे सभी अलग–अलग देशों के हैं। अमेरिका और रूस के विपरीत, भारत एक राष्ट्र नहीं है। यह कई प्रजातियों का एक जटिल है। यह एक उपमहाद्वीप है, और किसी भी राष्ट्र को देश से अलग होने का अधिकार है। वामपंथियों का तर्क है, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष पनपना चाहिए। ऐसा मानने वाले वामपंथियों ने पाकिस्तान के गठन का समर्थन किया है। 1992 में, सी.पी.एम. हरिकिशन सिंह सुरजीत जैसे नेताओं ने उपरोक्त बिंदुओं के साथ सरकारिया आयोग के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत 23 राष्ट्रों का एक समुदाय है और राज्यों को अधिक अधिकार देना चाहिए।

सी) 'भारत अनादि काल से एक देश है'

अनेक राजाओं और साम्राज्यों के बावजूद श्एक संस्कृति भारत का आधार है। यह एक अकेली केंद्र सरकार नहीं है। ऋग्वेद भूमि सूक्त में कई कहावतें हैं जो बताती हैं कि, श्भारत हमारी माता है, वह भूमि जो हिमालय और तीन समुद्रों के बीच फैली हुई है। हम सब इस धरती की सन्तान हैं। अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादी नेताओं ने अपनी 1942 की पुस्तक द कम्युनल ट्राएंगल में लिखा है कि इस भूमि सूक्त के भजन आधुनिक राष्ट्रगान से कम नहीं हैं। एक मजबूत राज्य के लिए कई सम्राटों द्वारा घोड़े की बलि दी जाती थी। कई शाही परिवारों ने अतीत में अपने विशाल साम्राज्य बनाए। भारत अनादि काल से एक देश है... इस तर्क, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद, बहन निवेदिता, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ... और कई अन्य लोगों ने जोरदार तर्क दिया है।

III) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक मजबूत केंद्र और राज्य

भारत के संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा के दौरान एच वी कामत ने एक संशोधन पेश किया। जैसे अमेरिका के संविधान में, हम, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी, श्हम, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगश को शामिल किया जाना चाहिए। इस पर डॉ. अम्बेडकर ने समझाया, ष्अमेरिका के हालात और भारत के हालात अलग–अलग हैं। अमेरिका का गठन राज्यों/उपनिवेशों के बीच एक संधि और उन राज्यों के बीच एक समझौते से हुआ था। कुछ राज्य आए और समय के साथ जुड़ गए। यहां ऐसा नहीं है। मैं एक सदस्य के रूप में इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर रहा हूं कि इस देश को प्राचीन काल से भारत कहा जाता रहा है। प्रारंभ में, सभी ने भाषा के आधार पर भारत राज्यों के गठन का विरोध किया, लेकिन जनता के दबाव में पहले मद्रास से एक अलग तेलुगु क्षेत्र का गठन किया गया था। बाद में भाषाई और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। हाल ही में प्रशासन के इसी सिद्धांत को ध्यान

में रखते हुए बड़े राज्यों को अलग कर उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों का गठन किया गया है। हमारा देश भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा देश है। एक केंद्र सरकार द्वारा शासन संभव नहीं है। तो राज्यों का गठन किया गया।

अमेरिका में अलग–अलग राज्यों की अलग–अलग नागरिकता है। लेकिन भारत में किसी भी राज्य के सभी लोगों के पास श्एकल नागरिकता है, भारतीय नागरिकता है। 9 दिसंबर 1946 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 'भारत के संवैधानिक उद्देश्यों' की व्याख्या करते हुए भारत की संविधान सभा के पहले सत्र को संबोधित किया। 17 दिसंबर 1946 को डॉ. अम्बेडकर ने चर्चा करते हुए कहा कि, ''मैं राज्यों को अधिक शक्तियाँ देने और केंद्र को सीमित शक्तियाँ देने के नेहरू के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। आज हमें एक मजबूत केंद्र की जरूरत है'', उन्होंने कहा।

एकल न्यायपालिका, एकल प्रशासनिक व्यवस्था, एकल नागरिकता... संविधान ने केंद्र सरकार को कई शक्तियां दी हैं जैसे राष्ट्रीय रक्षा, वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक...

भाग 12, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपातकाल की स्थिति का अनुच्छेद 352 और आर्थिक आपातकाल का अनुच्छेद 360 यदि घोषित किया जाता है, तो केंद्र सरकार के हाथों में और अधिक शक्तियां आ जाएंगी। प्राधिकरणरू 353, 354, 358, 3591

इनमें संविधान ने संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का विस्तृत विवरण दिया है। अनुच्छेद 246, सातवीं अनुसूची के तहत केंद्रीय सूची में 97 राज्यों की सूची में 66 समवर्ती सूची में 47 मदों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है। डॉ. अम्बेडकर अनुच्छेद 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा नहीं देना चाहते थे। इसके साथ ही नेहरू की मसौदा समिति के एक अन्य सदस्य गोपालस्वामी अयंगर के माध्यम से 370 के अनुच्छेद का मसौदा तैयार किया, इसे अनंतिम के रूप में पेश किया और इसे

मंजूरी दी। जम्मू–कश्मीर में केंद्र सरकार की शक्तियों को कम करने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया गया था!

IV) सामाजिक, राजनीतिक, न्याय समानता

1) संसद के पास अनुच्छेद (3) के तहत देश में राज्यों से बाहर एक नया राज्य बनाने, उसका नाम बदलने, सीमाओं को बदलने आदि की शक्तियाँ हैं। 2) हमारा संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज भी है।

क) राजनीतिक समानता

लोकतंत्र का जन्मस्थान ब्रिटेन है, जिसके बाद अमेरिकी लोकतंत्र को लोगों ने लोगों द्वारा और लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकार के रूप में समझाया गया है। एक राजशाही में, शासक राजा होते हैं। लोगों के पास उन्हें चुनने का अवसर और शक्ति नहीं है। लंबे इतिहास वाले ब्रिटेन और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में केवल उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था जिन्होंने लंबे समय तक अध्ययन किया था और जिनके पास कुछ संपत्ति थी। सभी नागरिको को वोट देने का अधिकार बहुत देर से मिला। महिलाओं को भी बाद में मिला।

जब भारत में संविधान का गठन हुआ, तो अनुच्छेद 326 के तहत, जाति, धर्म, पुरुष और महिला की परवाह किए बिना सभी को समान मूल्य के साथ वोट देने का अधिकार मिला। यह एक महान निर्णय था। इसने देश के सभी लोगों को राजनीतिक समानताश प्रदान की।

ख) सामाजिक समानता

हिन्दू समाज में जाति के नाम पर असमानता पिछले 3 हजार वर्षों से चली आ रही है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, अस्पृश्यता पिछले 1600 वर्षों से विद्यमान है। (शास्त्रों के आधार पर अस्पृश्य कौन हैं...) ष्जाति मुख्य चीज नहीं है, गुना मुख्य चीज है, जाति के आधार पर कोई असमानता नहीं होनी चाहिएष्रू गौतम बुद्ध, महावीर, रामानुज, रामानंद, संत शिरोमणि (राजस्थान),

रविदास, गुरु नानक देव, संत बसवेश्वर, चौतन्य महाप्रभु, नरसी मेहता, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, नारायण गुरु, गुरु घासीदास आदि ने परोपकार के क्षेत्र में कार्य किया। ब्रह्म नायडू, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबाफुले, डॉ. अम्बेडकर, सावरकर, गांधीजी जैसे समाज सुधारकों ने यह कहकर सामाजिक समानता के लिए काम किया कि छुआछूत नैतिक नहीं है और इसका पालन नहीं किया जाना चाहिए। इन सभी प्रयासों के संयुक्त प्रभाव से हमारे संविधान में सर्वसम्मति से निम्नलिखित शक्तियां निहित की गई हैं।

अनुच्छेद 15 : कोई जाति, पंथ, लिंग भेदभाव नहीं है। (सार्वजनिक स्थानों, सरकारी नीतियों में)

अनुच्छेद 16 : सभी लोगों के लिए समान रोजगार के अवसर।

अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का निषेध। यदि इन सभी को ठीक से लागू किया जाता है, तो डॉ.बी.आर. अम्बेडकर को उम्मीद थी कि हमारा राजनीतिक लोकतंत्र एक सामाजिक लोकतंत्र बन जाएगा।

V) हमारा संविधान, कुछ विशेषताएं

सामाजिक असमानताएँ – आर्थिक असमानताएँ

सामाजिक असमानताओं को खत्म करने के लिए संविधान में कुछ अनुच्छेद पेश किए गए हैं। सदियों से, सामाजिक असमानता और भेदभाव के शिकार समूहों को आर्थिक उत्पीड़न और गरीबी के अधीन किया गया है। इसलिए, इन समूहों के बीच आर्थिक विषमताओं को दूर करना भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमारे संविधान में आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए कुछ अनुच्छेद रखे गए हैं।

शोषण से सुरक्षा का अधिकार (शोषण के खिलाफ अधिकार)

अनुच्छेद 23 : श्रम शक्ति का शोषण नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 24 : 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान

की विशेषताओं में से एक है।

यदि उसमें सभी बिन्दुओं को तत्काल लागू करना संभव न भी हो, तो भी संविधान में कहा गया है कि सरकारें अपनी नीतियाँ बनाते समय इस अध्याय में उल्लेखित बिन्दुओं को ध्यान में रखें।

अनुच्छेद 38 : लोक कल्याण के अनुरूप एक सामाजिक व्यवस्था होगी। इसका एक पहलू यह भी है कि सरकारें आर्थिक असमानता को यथासंभव कम करने के लिए काम करें।

अनुच्छेद 39 : बी) सामाजिक कल्याण के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व, नियंत्रण और वितरण, इसे समाज में सभी को वितरित किया जाना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 46रू कमजोर वर्गों (विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वर्गो) के आर्थिक विकास के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए।

सामाजिक असमानताओं को दूर करने और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए समानांतर प्रयास किए जाने चाहिए। यह ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि आर्थिक असमानताएँ समाप्त भी कर दी जाएँ तो भी सामाजिक असमानताएँ समाप्त नहीं होंगी (कुछ हद तक कम हो जाएँगी)।

देश में विभिन्न धर्मों और विभिन्न धार्मिक नागरिक कानूनों के संदर्भ में निर्देशक सिद्धांतों में सभी धर्मों के लोगों के बीच श्हम सब एक हैं की भावना लाने के लिए,

अनुच्छेद 44रू संविधान सभी लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता (समान नागरिक संहिता) की आवश्यकता को अनिवार्य करता है।

VI) अनुसूचित जाती और जनजातियों के लिए आरक्षण।

जैसे ही संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान की तैयारी के हिस्से के रूप में विभिन्न मामलों पर 22 उपसमितियां (उप–समितियां) गठित की गईं। उनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य समितियाँ – अध्यक्ष

1) मसौदा समिति – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

2) यूनियन पॉवर्स कमेटी – पंडित जवाहरलाल नेहरू

3)केंद्रीय संविधान समिति – पंडित जवाहरलाल नेहरू

4)प्रांतीय संविधान समिति – सरदार वल्लभभाई पटेल

5) मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और अन्य क्षेत्रों के लिए सलाहकार समितियां – सरदार वल्लभभाई पटेल

चार उप–समुदाय

1) मौलिक अधिकारों पर उपसमिति – जे.बी. कृपलानी

2)अल्पसंख्यक उप समिति – एच. सी. मुखर्जी

3) पूरी तरह या आंशिक रूप से बहिष्कृत (आदिवासी) क्षेत्रों पर समिति – ए.वी. टकर

4) पूर्ण या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति (असम, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए) – गोपीनाथ बारदोलाई

5) प्रक्रिया समिति के नियम – राजेंद्र प्रसाद

6) राज्यों की समिति – (राज्यों के परामर्श के लिए) – पंडित जवाहर लाल नेहरू

7) संचालन समिति – राजेंद्र प्रसाद

8) संविधान सभा के कामकाज पर समिति – जी.वी. मावलंकर

9) हाउस कमेटी– डॉ बी पट्टाभि सीतारमैया

10) भाषा समिति – मोटूरी सत्यनारायण

11) कार्यसमिति का आदेश – के.एम. मुंशी

आरक्षण पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में तीन सदशयों की समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की। आजादी से पहले मुसलमानों और सिखों को मुसलमानों की मांगों के अनुसार राजनीतिक आरक्षण दिया गया था। हिंदुओं

के हिस्से के रूप में, एससी आरक्षण दिए गए थे। इन राजनीतिक आरक्षणों की स्थापना धार्मिक आधार पर देश के विभाजन को नहीं रोक सकी। इस संदर्भ में यह सुझाव दिया गया कि श्आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए, केवल अनुसूचित जातियों को जो सदियों से अछूत के रूप में रहे हैं, अनुसूचित जनजातियों को जो जंगलों में और विकास से दूर रह रहे हैं, उन्हें राजनीतिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। उस सीमा तक, निम्नलिखित लेखों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था।

कुछ श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधानरू

अनुच्छेद 330 : अनुसूचित जातियों और जनजातियों को देश में उनकी जनसंख्या के अनुपात में संसद में आरक्षण दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 332 : राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 334 : 10 साल बाद (1960 में) संसद और विधानमंडलों में आरक्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 8वें, 23वें, 45वें, 62वें, 79वें, 95वें और 104वें संविधान संशोधनों के माध्यम से इस अनुच्छेद को दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

अनुच्छेद 335 : अनुसूचित जातियों और जनजातियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं में उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। 82 वें संविधान संशोधन के तहत सरकारी नौकरियों की पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है। (प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान संविधान संशोधन द्वारा)

अनुच्छेद 338 : अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तीन सदस्य) की स्थापना

338 A : 89वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलगअलग राष्ट्रीय आयोगों का गठन किया गया। (अटलजी बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान संविधान संशोधन द्वारा)।

VII) अनुसूचित जनजातियों के लिए - सुरक्षारू

परे विश्व में प्राचीन काल में वन थे। सब वनवासी हैं! कालांतर में गांवों और कस्बों का निर्माण हआ। पश्चिमी देशों में शहरी लोगों ने जंगलों पर कब्जा कर लिया है। आदिवासियों का गला घोंट दिया गया। इतिहास बताता है कि कैसे अमेरिका में रेड इंडियन, ऑस्ट्रेलिया में आदिवासियों और अरब में प्राचीन आदिवासी जनजातियों का नरसंहार किया गया। अदम्य प्रकृति, न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ प्रकृति के सामंजस्य में रहना, साम्प्रदायिक रहन–सहन... अनुसूचित जनजातियों की विशेषता है। अनादि काल से भारत में राजाओं और सम्राटों की वनवासियों से मित्रता रही है। शहरी, ग्रामीण और ग्रामीण संस्कृतियों के बीच सामंजस्य है। भारत के संविधान का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना और विकास के लाभों को उन तक पहुँचाना है।

पांचवी अनुसूची

अनुच्छेद 244 : अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों का संरक्षण

अनुच्छेद 244 ए : असम में आदिवासी क्षेत्रों को अलग राज्य का दर्जा देना।

अनुच्छेद 244(1) : राज् य के राज् यपाल हर साल, जब राष् ट्रपति के अनुरोध पर अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर रिपोर्ट भेजेंगे। अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रपति, राज्यपाल और संरक्षक आवश्यक कानून बना सकते हैं।

प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाना चाहिए जिसमें 20 सदस्य (जो अनुसूचित जनजाति के विधायक हैं उनमें से 3/4) और शासन में उनकी सलाह ली जानी चाहिए।

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा, परिवर्तन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है।

अनुसूचित क्षेत्र भारत का हिस्सा हैं। अनुसूचित जनजाति भारतीय हैं, लेकिन अलग नहीं हैं। उन्हें उनके जमीन के अधिकार, उनके रहन–सहन की सुरक्षा... उनकी संस्कृति के लिए कुछ विशेष सुरक्षा दी गई है।श (संपादक)।

VIII) अनुसूचित जाति कौन हैं?

मूल भाषा में अछूत जातियों को अनुसूचित जाति (SC) कहा जाता है।

1931 में पहली बार जे.जे. हेथन – 1) आपके गाँव में कौन सी जातियाँ हैं जिन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है? 2) आपके गांव के तालाब का पानी किन जातियों को नहीं पीना चाहिए? 3) आपके गाँव के रजक किस जाति के कपड़े नहीं धोते हैं? ... इन दस सवालों के जवाब मिलने के बाद अछूत जातियों और उनकी जनगणना की गई।

1935 में श्ब्रिटिश इंडिया एक्टश आया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। उस अधिनियम में परिभाषित किया गया है कि एससी कौन हैं ... अनुसूचित जाति वे हैं जो हिंदू धर्म को अपनाते हैं। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी भी भारतीय ईसाई को अनुसूचित जाति के रूप में नहीं माना जाएगा। यह कानून अंग्रेजों ने नहीं भारतीयों ने बनाया था। इस फैसले के पीछे एक और इतिहास है।

1740 में, विश्व ईसाई धर्म के प्रमुख, पोप ने एक बयान दिया। श्ईसाई धर्म में भाईचारा है। जाति और अस्पृश्यता का यहां कोई स्थान नहीं है। ईसाई प्रचारक इस कथन के आधार पर धर्मांतरण और धर्मांतरण कर रहे हैंरू अस्पृश्यता ईसाई धर्म के लिए विदेशी है। आपके हिंदू धर्म में जातियां, जातिगत असमानताएं और छुआछूत हैं। हमारे ईसाई धर्म में नहीं। यदि आप अपनी अस्पृश्यता की धारणा से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो समानता की अपनी स्थिति के लिए हमारी ईसाई धर्म को अपनाएं। बहुतों ने धर्म परिवर्तन

भी किया है। कई ईसाई समुदायों ने इस तरह से ब्रिटिश सरकार से अपील की है। यह उस समय के ईसाई समुदायों और अंग्रेजी सरकार की नीति थी। (ईसाई धर्म में धर्मातरण अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं आते हैं।)

1935 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट का भारतीय संविधान पर बहुत प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान को अपनाने के बाद अनुसूचित जाति कौन हैं? 1950 राष्ट्रपति की उद्घोषणा तीसरी व्याख्या ने परिभाषित और घोषित किया कि केवल हिंदू धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म की विभिन्न जनजातियों से संबंधित लोगों को अनुसूचित जाति माना जाएगा। ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति नहीं माना जाना चाहिए। अनुसूचित जातियां जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया और ईसाई धर्म अपना लिया, वे भी अब एससी सूची में शामिल होने की मांग कर रहे थे। इस वजह से, उन हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया जो एस.सी. हैं।

मंडल आयोग की सलाह के अनुसार, श्दलित ईसाइयों (अनुसूचित जाति मूल से धर्मांतरित) को उनकी जनसंख्या के अनुपात को पिछड़ा वर्ग मानते हुए 1 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।

अल्पसंख्यक के रूप में दलित ईसाई चर्च से वित्तीय सहायता और सामाजिक सेवाएं प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर उन्हें अवैध रूप से आरक्षण की सुविधा मिल रही है जो हिंदू अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। सच्चे एससी हिंदू की तरह जी रहे हैं जो हर तरह से हार रहे हैं।

IX) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच विकास में असमानताएं

अनुसूचित जाति – जनजाति कोई जाति नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न जाति / जनजाति संघ मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति 58 हैं, अनुसूचित जाति – जनजाति 35 हैं, सूची राज्य से राज्य में भिन्न होती है। एक ही जाति को अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग नामों से जाना जाता है। विभिन्न जातियों और जनजातियों के व्यवसाय अलग–अलग हैं।

उदा. महाराष्ट्र से ऊपर उत्तर भारत में सफाई कर्मचारी मुख्य रूप से

श्वाल्मीकिश हैं। आंध्र प्रदेश में, वाल्मीकि/लड़के अछूत नहीं हैं और इसलिए वे अनुसूचित जाति नहीं हैं। वे रायलसीमा में बी.सी. हैं। उत्तर प्रदेश में कई पीढ़ियों से रजकों और मछुआरों को अछूत माना जाता रहा है, इसलिए उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मछुआरे और रजक अछूत नहीं हैं, इसलिए उन्हें एससी में नहीं बल्कि बीसी में शामिल किया गया है।

लम्बाडी महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति नहीं हैं; वे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति हैं। श्वाल्मीकुलुश विशाखा जिले के पदेरू जनजातीय संभाग में अनुसूचित जनजाति हैं। वे तत्कालीन अछूत जातियों से ताल्लुक रखते हैं जो 200 साल पहले वन क्षेत्र में आए थे। चूंकि वे वहां 200 साल से हैं, इसलिए उन्हें एसटी सूची में जोड़ा गया।

अनुसूचित जाति और जनजाति का निर्णय किस प्रकार किया जाता है? संवैधानिक नीति क्या है? चलो पता करते हैं।

1935 में अंग्रेज शासकों ने कुछ मानदंडों के आधार पर अनसचित जातियों और जनजातियों की सूची तैयार की। संविधान बनने के बाद संशोधनों के साथ राज्यवार नई सूचियां तैयार की गईं।

अनुच्छेद 341 के अनुसार अछूत जातियों की सूची की पुष्टि और अधिसूचना उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि और जातियों को जोड़ने की आवश्यकता है, तो संसद एक अध्यादेश के माध्यम से घोषित करेगी। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण की प्रक्रिया को ऊपर वर्णित करता है। अनुसूचित जाति और जनजाति को नियमों के तहत घोषित किए जाने या न होने के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है।

X) संवैधानिक संशोधन-सीमाएं

हमारा एक जीवित संविधान हैरू

क्या हमारा संविधान संशोधनों (कठोर) के लिए संभव नहीं है? क्या

यह लचीला है? आरोपरू जब आरएसएस के प्रभाव से भाजपा सत्ता में आती है, तो कुछ अम्बेडकर अनुयायी और कम्युनिस्ट और परोक्ष रूप से कांग्रेस यह कहकर बुरा प्रचार कर रही है कि वे डॉ अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को बदल देंगे। यह कहाँ तक सच है?

संसद में जनप्रतिनिधि अक्सर विधानसभा की कार्यवाही में देश के हितों के बजाय पार्टी के हितों को प्राथमिकता देते हैं। भले ही एक ही संविधान सभा के सदस्यों की कई मौकों पर अलग–अलग राय थी, फिर भी वे आम सहमति पर आए।ष संसद और संविधान सभा के बीच यह प्रमुख अंतर है! संविधान सभा में संशोधनों पर डॉ. अम्बेडकर ने कहा, श्आज हम सभी ने विस्तार से चर्चा की है और इस संविधान को तैयार किया है। आने वाली पीढ़ियों को आवश्यक बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। उनके सामने आने वाली चुनौतियों के आलोक में संवैधानिक संशोधन। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने जो बनाया है वह अंतिम शब्द हैष।

अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधनों को पहले लोकसभा में और फिर राज्य सभा में सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे का अनुमोदन अनिवार्य है। उसके बाद राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी चाहिए।

हालांकि, कुछ निम्न मदों के मामले में, लोकसभा और राज्य सभा द्वारा अनुमोदन के बाद, राष्ट्रपति को कम से कम आधे विधान सभाओं द्वारा अनुमोदन के बाद ही इस पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

वे वस्तुएं हैं

1) अनुच्छेद 54, 55,73, 162, 342 का संशोधन

2) 5वें डिवीजन का चौथा अध्याय, 6वें डिवीजन का 5वां अध्याय, 9वें डिवीजन का पहला अध्याय।

3) 7वीं अनुसूची का अर्थ है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का हस्तांतरण।

4) राज्यों की संसद में प्रतिनिधित्व का अनुच्छेद।

1972 केशवानंद भारती मामले में, संविधान पीठ ने घोषणा की कि संसद ष्संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकतीष् और यह भी स्पष्ट किया कि श्मूल ढांचेश का क्या अर्थ है। संविधान ने विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की व्याख्या करने की शक्ति दी है, चाहे वह कानून संविधान के विरुद्ध हो या नहीं। हमारा संविधान एक जीवित (जीवित संविधान) है। इसके तत्वों का विकास किया जा सकता है। यह हमारे संविधान की एक और विशेषता है।

आइए जानते हैं कि संविधान लागू होने के बाद इन 70 सालों में क्या हुआ।

XI) संवैधानिक संशोधनों की कहानी

26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। 6 दिसंबर 1956 को डॉ. अम्बेडकर का निधन हो गया। इन छह वर्षों के दौरान सात संवैधानिक संशोधन किए गए। 7वां प्रमुख संविधान संशोधन बहुत व्यापक है। इसमें 63 लेखों को संशोधित किया गया है। 6 लेख जोड़े गए हैं। 12 लेख पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। 8 लेख हटा दिए गए। 7 अनुसूचियों में संशोधन किया गया है। 2 खंड संपादित किए गए थे। डॉ. अम्बेडकर ने इन 7 संवैधानिक संशोधनों को देखा।

25 जून 1975 को, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उसने प्रेस को दबा दिया। लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन किया गया है। उन्होंने वामपंथी नेताओं के साथ मिलकर बिना किसी चर्चा के उस अंधेरे समय में 38वें, 39वें, 40वें, 41वें और 42वें संवैधानिक संशोधन किए। 42वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा है। संविधान सभा की बहस की प्रस्तावना में उस दिन डॉ. अम्बेडकर ने ष्धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को शामिल करने से इनकार कर दिया था। इस अवधि के दौरान कांग्रेस ने वही संशोधन

किए। अब तक 100 संवैधानिक संशोधन पूरे हो चुके हैं। इसका क्या मतलब है? कांग्रेस ने केंद्र में 15 साल को छोड़कर 55 साल राज किया है। क्या उनके कार्यकाल में संविधान में कई बार संशोधन नहीं किया गया है?

वाजपेयी 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे और मोदी आज भी 6 साल से प्रधानमंत्री हैं। क्या इस अवधि के दौरान संविधान की भावना के विरुद्ध कोई संवैधानिक संशोधन हुआ? क्या वे एससी और एसटी आरक्षण रद्द करने की कोशिश करते हैं? जब राजनीतिक आरक्षण समाप्त हो गया, वाजपेयी जी (95 वां संविधान संशोधन), मोदी जी (104 वां संविधान संशोधन), क्या उन्होंने एससी, एसटी राजनीतिक आरक्षण के लिए एक और 10 साल की अवधि के लिए विस्तार नहीं किया है?

XII) राष्ट्र, राज्य और प्रांत पर कुछ शब्द - उनके अर्थ

इन तीनों के अलग–अलग अर्थ हैं। बहुत से लोग जो राजनीति विज्ञान जानते हैं, वे भी इन शब्दों का प्रयोग भ्रामक रूप से करते हैं। हालांकि कुछ विद्वान मतभेदों को जानते हैं, लेकिन वे देश और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु ... ये सभी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं जो प्रशासन की सुविधा के लिए बनाई गई हैं। ये अलग राष्ट्र नहीं हैं।

एकल (केंद्रीय) सरकार के तहत एक प्रशासनिक प्रणाली को राज्य कहा जाता है। यहां सरकार अपरिहार्य है। अंग्रेजी में राज्य शब्द का तात्पर्य स्वयं सरकार से है।

राज्य/राष्ट्र का अर्थ है एक संस्कृति, जीवन के मूल्य और कई तत्व जो इस धारणा को पुष्ट करते हैं कि हम सब एक हैं। इनके अतिरिक्त यदि कोई सरकारी व्यवस्था यानि राज्य हो तो वह पूर्ण राज्य (राष्ट्र) बन जाता है।

यदि राज्य आत्मा है, तो राज्य शरीर है। मनुष्य तभी जीवित है जब दोनों का अस्तित्व हो। 2000 वर्षों तक यहूदियों को उनकी मातृभूमि से खदेड़ दिया गया था। यहूदी एक जाति हैं। उनकी कोई सरकार नहीं है। इज़राइल का गठन 1946 में हुआ था। एक धर्म या एक भाषा पर आधारित राज्य होना

पर्याप्त नहीं है। भले ही वे एक ही भाषा/धर्म साझा करते हों, वे एक राज्य नहीं होंगे। इस्लाम एक धर्म है लेकिन कई देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक ... क्या वे अलग–अलग देश/राष्ट्र नहीं हैं?

भारत को हमारे संविधान द्वारा एक राष्ट्र के साथ साथ एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई :

हिन्दू समाज में अनेक जातियाँ होने पर भी सांस्कृतिक एकता है। (डॉ. अम्बेडकर द्वारा 1916 – ष्भारत में कैटेगरी, उनके तंत्र, उत्पत्ति और विकासष्) लेकिन जातिगत असमानताएँ हैं। डॉ. अम्बेडकर ने अपने आंदोलनों के माध्यम से, संविधान के माध्यम से मुख्य रूप से हिंदू समाज में हम एक हैं की अवधारणा को मजबूत करने के लिए काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के 550 संस्थानों को भारत में विलय करने का श्रेय दिया जाता है। एक केंद्र सरकार के तहत एक बड़े क्षेत्र के साथ एक मजबूत केंद्र सरकार का गठन किया गया था। हम प्राचीन काल से देश की सांस्कृतिक एकता, संविधान, एकल प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक स्तरीकरण के माध्यम से मजबूत केंद्र सरकार द्वारा एक राज्य (राष्ट्र) के रूप में मजबूत हुए हैं। मुसलमानों में धार्मिक अलगाववाद आज भी एक चुनौती है। पाकिस्तान के निर्माण से हिंदू–मुस्लिम समस्या का समाधान नहीं हुआ, जैसा कि सभी को उम्मीद थी। हमें इस समस्या से पार पाना है।

XIII) संवैधानिक नैतिकता

संविधान सभा के अंतिम दिन डॉ. अम्बेडकर और बाबू राजेन्द्र प्रसाद दोनों ने इस बारे में बात की– "क्या कोई एक संविधान महान है? इसका क्या पैमाना है? संविधान की सामग्री बहुत स्पष्ट है और लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन संवैधानिक महत्वाकांक्षाएं संविधान को लागू करने वालों पर निर्भर करती हैं। यदि वे नियमित हैं और संवैधानिक नैतिकता के साथ कार्य करते हैं तो अच्छे परिणाम आएंगे। यदि वे स्वार्थी हैं तो परिणाम उचित नहीं होंगे''।

विधायिका और कार्यकारी वर्ग संविधान की भावना के अनुसार कानून बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। न्यायपालिका व्याख्या करती है कि ये कानून संवैधानिक हैं या नहीं। कार्यकारी श्रेणी मुख्य रूप से कानूनों के उचित कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यदि ये तीनों प्रणालियाँ समन्वय करती हैं और अपने–अपने दायित्वों का निर्वहन करती हैं तो ही लोगों को लाभ होगा।

उदाहरण के लिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। संविधान में आपातकाल और आर्थिक आपातकाल की स्थिति घोषित करने की संभावना है। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी क्योंकि उनकी स्थिति को खतरा था। फिर देश को न तो बाहर से और न ही आंतरिक रूप से कोई खतरा है। यह एक संवैधानिक अनैतिकता है। 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी सहित सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई थी। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के शासकों की तरह सत्ता में बने रहने के लिए कोई बाधा नहीं डाली। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसे कहते हैं संवैधानिक नैतिकता!

एक हजार साल के विदेशी शासन के बाद 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। हमारे देश के नेताओं के प्रयासों से सर्वसम्मत संविधान का निर्माण हुआ। उचित क्रियान्वयन के लिए सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी है!

5) डॉ. अम्बेडकर के उत्तर संविधान सभा में विभिन्न अवसरों पर

1) ''राजा को लोगों की इच्छा के अनुसार राज्य चलाना पड़ता है। आंतरिक रूप से चलने की कोई गुंजाइश नहीं है।'' इसे भारतीय परंपरा कहा जाता है।

''यह सोचना सही नहीं है कि भारत लोकतंत्र को नहीं जानता है। एक समय था जब पूरा देश गणतंत्रों से भरा हुआ था। यद्यपि यहाँ और वहाँ राजतंत्र थे, वे सीमित शक्तियों वाले सम्राट थे! उन राज्यों में भी निर्वाचित प्रतिनिधि थे। राजा की शक्ति कभी भी निरपेक्ष नहीं होती। यह मान लेना सही नहीं है कि जिन सदनों में लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, उन सदनों को रखने के लिए निश्चित तरीके होते हैं। बौद्ध भिक्षा संघों के एक अध्ययन से पता चलता है कि लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदनों के अलावा, संसद जैसे विधायिकाओं को चलाने के लिए आधुनिक समय में इस्तेमाल किए गए सिद्धांतों और प्रथाओं का भी पालन किया गया था। सदस्यों के बैठने के लिए विशिष्ट सीटें, प्रस्ताव, संकल्प, बैठक बुलाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या, हाउस ऑफ कॉमन्स के आदेश, सदस्यों के विचारों का सम्मान, कागज पर लिखना और अपनी स्वीकृति या विरोध व्यक्त करना, महाभियोग प्रस्ताव, नियमितीकरण, एक बार अंतिम निर्णय लेने के बाद मामलों पर पुनर्विचार, आदि ऐसी वस्तुओं के बारे में स्पष्ट नियम थे। इन नियमों को बुद्ध ने बौद्ध समुदायों की बैठकों में पेश किया था। कि, उन्होंने उस समय देश की विधायिकाओं में लागू होने वाले नियमों और विनियमों को अपनाया होगा।''

2) हमारे राज्यों का कोई परिसंघ नहीं है

हालांकि भारत कुछ विशेषाधिकारों वाले राज्यों का एक संघ प्रतीत होता है, संविधान मसौदा समिति यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है कि हम राज्यों का संघ नहीं हैं। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्र का गठन हुआ और

हमारे देश की स्थिति के बीच कोई तुलना नहीं है। यह संघ अस्तित्व में नहीं था क्योंकि राज्य अपनी पसंद के समझौते पर पहुंच रहे थे। किसी भी राज्य को राष्ट्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ का गठन एक संयुक्त समूह के रूप में किया जा रहा है जिसके विघटन की कोई संभावना नहीं है। भले ही प्रशासन के शासन के लिए यह देश और इसके लोगों को अलग–अलग राज्यों में बनाया जा रहा है, यह एक देश है। यह अविभाज्य है। ये लोग एक ही केंद्र से प्राप्त शाही सत्ता के तहत रहने वाले एकमात्र लोग हैं। (हमारे संविधान में कहीं भी यह श्संघीयश या श्संघीय प्रकृतिश नहीं लिखा है – संकलक)

3) एक अच्छे संविधान का मतलब...

25 नवंबर 1948 को संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर का भाषण

(संविधान को अपनाने से एक दिन पहले)

''संवैधानिक कानून कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसके निष्पादक अच्छे नहीं हैं, तो यह बुरा होगा। यदि निष्पादक अच्छे हैं, संवैधानिक कानून खराब हैं, तो यह अच्छे परिणाम देगा। संवैधानिक कानून कैसे काम करता है यह उस कानून की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। संविधान के क्या कार्य हैं? विधायिका, कार्यकारी परिषद (कैबिनेट), न्यायपालिका के गठन की प्रक्रिया निर्धारित करती है। ये संगठन कैसे काम करते हैं यह कई कारकों पर निर्भर करता है– जनता सहित, वे राजनीतिक दल जो वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, और जिस राजनीति को वे चलाते हैं। कौन कह सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता और उनके राजनीतिक दल कैसे व्यवहार करेंगे?

''जातियों और समुदायों के रूप में पुराने दुश्मनों के साथ, कई राजनीतिक दल उभर रहे हैं जो परस्पर भिन्न, विरोधी विचारधाराओं के साथ बने हैं। ...क्या ये दल देश को अपनी धार्मिक विचारधाराओं और विचारधाराओं से ऊपर रखेंगे, या अपने सिद्धांतों और विचारधाराओं को राष्ट्र से ऊपर रखेंगे? मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बात साफ है। अगर इन राजनीतिक दलों को लगता है कि उनकी पार्टी के सिद्धांत और विचारधाराएं देश की

तुलना में श्रेष्ठ हैं, तो हमारे देश की आजादी न केवल एक बार फिर खतरे में होगी, यह हमेशा के लिए चली जाएगी। हमें अपने देश को इस आपदा से बचाना है। हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, भले ही इसका मतलब हमारे खून की आखिरी बूंद को बहा देना हो।

4) संविधान सभा और संसद में क्या अंतर है?

संसद सदस्यों का एक निकाय है जो अपने संबंधित दलों के साथ उचित तरीके से व्यवहार करता है। संविधान सभा में पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति नहीं है। इसमें सर्वोत्तम, व्यावहारिक संविधान बनाने और देने के अलावा कोई स्वार्थ नहीं है। संसद में स्वार्थी इरादे व्यक्त किए जा सकते हैं। संविधान सभा और संसद में यही अंतर है।

5) एक मजबूत केंद्र की जरूरत है

19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने वस्तुओं की घोषणा पर एक प्रस्ताव रखा। तदनुसार, केंद्र सरकार शक्तिहीन हो जाती है। संकल्प की व्याख्या करते हुए बाबासाहेब ने कहा, इन वर्तमान राज्यों में सभी प्रकार की शक्तियां हैं। वे सभी शक्तियाँ जो केंद्र सरकार को नहीं सौंपी गई हैं, इन क्षेत्रीय सरकारों की हैं। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल इन क्षेत्रीय सरकारों से ऊपर होगा। इसमें कुछ निर्दिष्ट मामलों में कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है। मैं इस तरह के समूह से सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि एक मजबूत केंद्र सरकार बने। ''राज्य (देश) के भविष्य के बारे में सोचते समय, किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, नेताओं की प्रतिष्ठा, पार्टियों की प्रतिष्ठा को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का किसी अन्य विषय की तुलना में देश जितना प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए।'' (हम और हमारा संविधान – रमेश पतंगे पुस्तक से – पृष्ठरू31)

6) क्या संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को शामिल किया जाना चाहिए?

यह मेरी संक्षिप्त आपत्ति है (इन दो शब्दों को सम्मिलित करने के संदर्भ में)। राज्य के विभिन्न अंगों (सरकार) को कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे नियमन करना चाहिए यह संवैधानिक कानून का मुख्य कार्य है। संविधान उस

एजेंडे को स्पष्ट करता है जिसके तहत प्रक्रिया का पालन किया जाना है। यह संवैधानिक कानून का काम नहीं है कि वह यह तय करे कि किसी पार्टी या व्यक्ति को सिंहासन पर कैसे बैठना चाहिए। यह उस समय के लोगों पर निर्भर है कि सरकार को किन नीतियों का पालन करना चाहिए और समाज की आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं को कैसे संरचित किया जाना चाहिए। उन नीतियों को संवैधानिक कानून में शामिल करना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना है। वह पीढ़ी लोगों के अधिकारों से वंचित हो जाएगी। यदि संवैधानिक कानून में यह लिखा हो कि समाज की संरचना इस पद्धति के अनुसार होनी चाहिए, तो यह उस समय के लोगों को यह तय करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया कि किस तरह की सामाजिक व्यवस्था में रहना है। यह सही है। वर्तमान पीढ़ी के लिए यह सोचने के लिए कि एक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था पूंजीवाद से बेहतर है। लेकिन कल समाजवादी व्यवस्था से बेहतर एक और व्यवस्था उनके सामने आ सकती है। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे लोग किसी व्यवस्था से बंधे क्यों हों – संवैधानिक रूप से। लोगों को वह काम किसी तरह करने दें। (समझदार अनुवाद) हम और हमारा संविधान – पृष्ठरू 109

7) क्या भविष्य भी इसी तरह इस संविधान का इस्तेमाल करेगा?

संविधान के निर्माता वर्तमान पीढ़ी से हैं। यह संविधान इस संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को दर्शाता है। मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ियां इसका इस्तेमाल वैसे ही करेंगी जैसे वह है। सुनिए जेफरसन का क्या कहना था, "हर पीढ़ी एक स्वतंत्र राज्य (राष्ट्र) की तरह है जो बहुमत के इशारे पर सत्ता का प्रयोग करता है। इसलिए किसी भी पीढ़ी को हमारे विचारों का बंधक नहीं बनाया जा सकता। क्या हम दूसरे राज्य के लोगों को अपने विचारों से जोड़ सकते हैं?ष इसी तरह, अगर हम इस उम्मीद में एक संविधान का मसौदा तैयार करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां बिना किसी बदलाव के इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, तो बनाई जाने वाली दुनिया मृतकों से भरी होगी, जीवितों की दुनिया नहीं। (हम और हमारा संविधान – रमेश पतंगे पुस्तक से – पृष्ठरू 41)

8) भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य...

संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर का पहला भाषणरू यह 17–12–1946 को दिए गए (प्रथम) भाषण से है...

आर्य! यह ठीक है, हालांकि मेरा मानना है कि दुनिया में किसी भी चीज ने इस देश को एक होने से नहीं रोका, चाहे समय या परिस्थिति कोई भी हो। (तालियाँ) मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम जितने भी जात–पात और कबीले के हैं, वे सब एकता के रूप में एकजुट होंगे। (चीयर्स) अब मुस्लिम लीग भारत को बांटने के लिए आंदोलन कर रही है। किसी दिन वे उनके लिए ज्ञानवर्धक होंगे। तब मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि वे भी एक संयुक्त भारत को उनके लिए भी लाभकारी मानते हैं।

9) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता- प्रतिबंध

4–11–1948 को डॉ अम्बेडकर द्वारा दिए गए भाषण से लिया गया . .. षगिटलो बनाम न्यूयॉर्कष नामक एक मामला था। न्यूयॉर्क ने हिंसा भड़काने वाले भाषणों को दंडित करने के लिए ष्आपराधिक अराजकताष नामक एक कानून बनाया है। क्या यह संवैधानिक है? यही मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहारू

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लंबे समय से एक मौलिक सिद्धांत रही है। यह संविधान द्वारा संरक्षित है। यह हमें कुछ भी बोलने या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार नहीं देता है जो अंततः गैर–जिम्मेदार है। यह बेकाबू, अत्यधिक अनुमति नहीं देता है। मनमाना भाषण संरक्षित नहीं हैं। यह उन लोगों को दंडित करता है जो इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। यद्यपि देश, जनता, प्रशासनिक सुविधा के लिए कई राज्यों में विभाजित है, देश केवल एक अभिन्न रूप है। एक ही प्रशासन के तहत एक एकल व्यक्ति एक ही मूल स्थिति से बनता है। अमेरिकियों को यह स्थापित करने के लिए एक आंतरिक युद्ध छेड़ना पड़ा कि उनका संघ अविभाज्य था और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं था। मसौदा समिति ने महसूस किया कि इसे शुरू में ही स्पष्ट कर देना बेहतर है कि इसे अटकलों और विवाद पर छोड़ दिया जाए।

10) संविधान के प्रारूप के पूरा होने के अवसर पर 25 & 11 & 1949 को दिए गए भाषण से...

मैं संविधान सभा में अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा के अलावा किसी बड़ी उम्मीद के साथ नहीं आया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा जिम्मेदार काम मुझे सौंपा जाएगा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब संविधान सभा ने मुझे मसौदा समिति के लिए चुना। जब मसौदा समिति ने मुझे अध्यक्ष चुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इस संविधान का विरोधाभास मुख्य रूप से दो स्थितियों से आया है। एक है कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी है सोशलिस्ट पार्टी। वे संविधान की निंदा क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कि यह वास्तव में एक खराब संविधान है? मैं उसके लिए नहीं कहने की हिम्मत करता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी श्रम तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहती थी। वे इसकी निंदा करते हैं क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र पर आधारित संविधान है। समाजवादियों को दो चीजों की जरूरत थी। पहली चीज जो वे चाहते थे – अगर वे सत्ता में आए तो उन्हें सभी निजी संपत्ति पर कार्रवाई करने की खुली छूट दी जानी चाहिए, चाहे वह राष्ट्रीय हो या वास्तविक, मुआवजे का भुगतान किए बिना। उनकी दूसरी इच्छा थी कि संविधान में निहित मौलिक अधिकार पूर्ण हों। उन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है – यदि वे सत्ता में नहीं आते हैं – उन्हें अंतहीन स्वतंत्रता होगी, वह स्वतंत्रता न केवल सरकार की आलोचना करने की, बल्कि उसे उखाड़ फेंकने की भी। ष्26 जनवरी 1950 भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। (प्रोत्साहित करना) इस देश की आजादी का क्या होगा? क्या यह देश अपनी आजादी बरकरार रखेगा? फिर से हारे? यह पहला विचार है जो मेरे दिमाग में आता है, यह कहने के लिए नहीं कि भारत कभी स्वतंत्र नहीं हुआ। मेरी भावना यह है कि इसने एक बार अपनी स्वतंत्रता खो दी। क्या यह फिर से हार जाएगा? इस देश के भविष्य के बारे में यह सोच मेरे लिए बहुत परेशान करने वाली है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, वह यह

नहीं है कि भारत ने एक बार अपनी स्वतंत्रता खो दी; अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात और अवज्ञा के कारण इस देश ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। जब मुहम्मद बिन कासिम ने सिंधु क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो राजा दाहिर के सेनापतियों ने मुहम्मद बिन कासिम के एजेंटों से रिश्वत ली। उन्होंने राजा की ओर से लड़ने से इनकार कर दिया। जयचंद ने मुहम्मद गोरी को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने, पृथ्वीराज से लड़ने और सोलंकी राजाओं और उनकी मदद से मदद लेने के लिए

आमंत्रित किया। जबकि शिवाजी हिंदू मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, अन्य महाराष्ट्रीयन प्रमुख, अन्य राजपूत राजा, मुगल सम्राटों के पक्ष में लड़े। जब अंग्रेज सिख सरदारों को नष्ट कर रहे थे, तब सिखों के प्रधान सेनापति गुलाब सिंह चुप रहे। उसने सिख साम्राज्य को बचाने के लिए बहुत कम किया। 1857 में सिख मूकदर्शक बनकर खड़े रहे और भारत के अधिकांश हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम को देखा।

क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? यही सोच मुझे चिंतित करती है। हम जाति और जनजाति के रूप में अपने पुराने दुश्मनों के साथ–साथ कई राजनीतिक दलों को विभिन्न परस्पर विरोधी राजनीतिक दर्शन के साथ देखते हैं। यह तथ्य मुझे बहुत परेशान करता है। क्या भारतीय देश को अपने दर्शन से परे देखते हैं? या वे देश के बाहर अपने दर्शन देखते हैं? मुझें नहीं पता। लेकिन एक बात निश्चित है। यदि पार्टियां देश के बाहर अपने दर्शन देखें तो हमारी स्वतंत्रता निश्चित रूप से खो जाएगी। यह निश्चित है। हमें दृढ़ निश्चय के साथ देश को खतरे से बचाना चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता को खून की आखिरी बूंद तक बचाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए।

''मेरे विचार में, सबसे पहले हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का पालन करने की आवश्यकता है। हमें खूनी विद्रोह कार्यों के तरीकों का त्याग करना चाहिए। सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसी प्रथाओं को छोड़ दिया जाना चाहिए।

सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों के अभाव में, गैर–संवैधानिक तरीकों को अपनाने में समझदारी है। लेकिन संवैधानिक तरीके उपलब्ध होने पर गैर–संवैधानिक तरीकों को अपनाने का कोई मतलब नहीं है। ये असंवैधानिक प्रथाएं अराजकता के व्याकरण की तरह हैं। जितनी जल्दी हम उन्हें छोड़ दें, हमारे लिए उतना ही अच्छा है।''

''26 जनवरी 1950 को हम परस्पर अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। राजनीति में समानता होगी। हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता रहेगी। हम राजनीति में प्रति व्यक्ति एक वोट और प्रति वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। हमारे सामाजिक–आर्थिक जीवन में, हम अपनी सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था के कारण मनुष्य के एकल मूल्य के सिद्धांत को अस्वीकार करना जारी रखते हैं। हम कब तक इस अंतर्विरोधों के जीवन में जीते रहेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि हम इसे लंबे समय तक नकारते रहे, तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए।''

''मैं इस सदन को बहुत देर तक बात करके बोर नहीं करना चाहता। स्वतंत्रता निस्संदेह एक खुशी की चीज है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आजादी ने हम पर बड़ी जिम्मेदारियां डाली हैं। हमारे साथ जो भी बुरा होता है उसके लिए अब हमारे पास अंग्रेजों को दोष देने का मौका नहीं है। अब से, अगर कुछ भी बुरा होता है, तो हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को दोषी ठहराते हैं। बड़ा खतरा है कि कुछ चीजें बुराई का कारण बन सकती हैं। समय तेजी से बदल रहा है। लोग हमारे साथ नई थ्योरी की ओर बढ़ रहे हैं। वे जनता द्वारा चलाई जा रही सरकार से तंग आ चुके हैं। वे जनता के लिए सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जनता की सरकार है या जनता द्वारा चलाई जा रही सरकार। इस संविधान में हमने जनता द्वारा, जनता द्वारा, जनता के लिए

सरकार चलाने के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया है। हमें इस संविधान को बनाए रखने के लिए हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने में देर नहीं करनी चाहिए। यदि इतनी देरी होती है, तो यह लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार के बजाय लोगों के लिए सरकार चाहता है। उन कठिनाइयों को दूर करने की पहल करने में हमें कमजोर नहीं होना चाहिए। देश की सेवा करना ही एक मात्र उपाय है। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए।

भारत माताकी जय

ग्रन्थ सूची

1. भारता राज्यंगम – आंध्र प्रदेश भाषा संघ प्रकरण
2. राज्यंग सभालों डॉ. अंबेडकर प्रसानागालु– ऐक्यवेदिका प्रकरण–2
3. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया–रोल ऑफ डॉ. अंबेडकर
4. लेजेंड एण्ड रीऐलिटी बै सेशराव चौहान
5. इन्ट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया के दुर्गादास बसु
6. मैकिंग ऑफ इंडियास कॉन्स्टिट्यूशन बै जस्टिस खन्ना
7. टेन जुड़गमेंट्स दट चौन्ज्ड इंडिया बै जिया मोदी
8. हम और हमारा संविधान– रमेश पतंगे

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।